भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1106
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए कैंसर अस्पताल और कैंसर विज्ञान केंद्र

1106. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश भर में स्थापित किए गए नए कैंसर अस्पतालों और कैंसर विज्ञान केन्द्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश और गुजरात में स्थापित उक्त सुविधाओं की संख्या कितनी है;
(ख) कैंसर का शीघ्र पता लगाने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क उपचार और सरकारी अस्पतालों में कैंसर रोग विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषित पहलों की क्या स्थिति है;
(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कैंसर उपचार और अनुसंधान के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है और उक्त निधि का कितने प्रतिशत का उपयोग अवसंरचना के विस्तार और रोगी देखभाल के लिए किया गया है;
(घ) क्या सरकार की रणनीति सार्वजनिक-निजी भागीदारी, टेलीमेडिसिन सेवाओं और राजसहायता प्राप्त दवाइयों जैसी पहलों सहित वहनीय उपचार की सुलभता को और बेहतर बनाने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा कैंसर की व्याप्तता दर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और
(च) क्या नागरिकों को शीघ्र पहचान, जोखिम कारकों और जीवनशैली में बदलाव के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 19 राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और 20 विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत 'विशिष्ट परिचर्या कैंसर सुविधा केन्द्र सुदृढ़ीकरण योजना' को क्रियान्वित किया है। यह वित्तीय सहायता रेडियो थेरेपी उपकरण, नैदानिक उपकरण, शल्य चिकित्सा उपकरण की खरीद और कैंसर के लिए इनडोर सिविल कार्य और रोगी सुविधा में वृद्धि तथा कैंसर के निदान, उपचार और परिचर्या

से संबंधित अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है। एससीआई के लिए अधिकतम स्वीकार्य सहायता 120 करोड़ रुपये और टीसीसीसी के लिए 45 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य का 40% अंशदान (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 10%) शामिल है। आंध्र प्रदेश में कुरनूल स्थित कुरनूल मेडिकल कॉलेज और गुजरात में अहमदाबाद स्थित गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान को क्रमशः 120 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट के साथ एससीआई के रूप में अनुमोदित किया गया है।

उन्नत निदान और उपचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए झज्जर (हरियाणा) में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर स्थापित किया गया है। सभी 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में भी कैंसर उपचार सुविधाओं को मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत देश भर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरचना को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, जाँच, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन पर अभिकेंद्रित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 364 डे केयर कैंसर केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के बाद, अब तक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 297 नए डे केयर कैंसर केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। इन केंद्रों का उद्देश्य विशिष्ट परिचर्या केंद्रों द्वारा रेफर किए गए रोगियों को अनुवर्ती कीमोथेरेपी प्रदान करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के एक भाग के रूप में कैंसर सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों की जाँच, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। कैंसर सहित इन सामान्य गैर-संचारी रोगों की जाँच सेवा प्रदायगी का अभिन्न अंग है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने ऑन्कोलॉजी सहित स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम शुरू करने में आसानी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) कोई भी बिना सीनियर रेजिडेंट के दो संकाय सदस्यों के साथ भी दो सीटों के साथ पीजी पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है।

(ii) कई विशेषज्ञताओं में, इकाई गठन के लिए बिस्तर की आवश्यकता कम कर दी गई है।

(iii) मेडिकल कॉलेज/संस्थान, मेडिकल कॉलेज को स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति मिलने के एक वर्ष बाद पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज, यूजी के साथ-साथ पीजी पाठ्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑनकोलोजिस्ट की संस्था में वृद्धि का विवरण ब्यौरा निम्नवत् हैः

सं.	पाठ्यक्रम का नाम	2022-23 में स्वीकृत सीटें	2023-24 में स्वीकृत सीटें	2024-25 में स्वीकृत सीटें
1	एमडी - रेडिएशन ऑन्कोलॉजी	19	40	11
2	डीएम - मेडिकल ऑन्कोलॉजी	20	7	8
3	डीएम - ऑन्कोलॉजी	6	6	3
4	एम.सीएच - स्त्री रोग संबंधी ऑन्कोलॉजी	1	1	6
5	एम.सीएच - सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	13	15	10
6	डीएम - बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी	8	-	3
7	एमडी - ऑन्कोपैथोलॉजी	6	5	10
कुल		73	74	51

(ग): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने अपनी केंद्र प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से पित्ताशय कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, पूर्वोत्तर में कैंसर और मुख कैंसर के क्षेत्रों में अनुसंधान को वित्त पोषित किया है। कैंसर अनुसंधान के लिए आवंटित अनुमानित बजट का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	राशि
2021-2022	125 करोड़ रुपये
2022-2023	150 करोड़ रुपये
2023-2024	300 करोड़ रुपये

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य कैंसर संस्थानों/विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों को आवंटित और जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन		परिव्यय
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	
2022-23	175	120	119.99
2023-24	100	50	72.4
2024-25	109	80	79.37

(घ): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के अंतर्गत कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों का उपचार उपलब्ध है। यह योजना मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रदान करती है। हाल ही में, पीएम-जेएवाई ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया है। एबी पीएम-जेएवाई के स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) में कैंसर सहित 27 विशेषज्ञताओं में 1961 प्रक्रियाएँ शामिल हैं। 30,072 पैनलबद्ध अस्पतालों में उपचार उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के रूप में समर्पित आउटलेट स्थापित करने के लिए की गई थी ताकि किफायती कीमतों पर गुणवत्तापरक जेनरिक दवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाओं और 300 सर्जिकल उपकरणों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है, जिनमें से 87 उत्पाद कैंसर के इलाज के लिए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) पहल, कैंसर सहित विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किफायती दवाएं उपलब्ध कराती है। दिनांक 30.06.2025 तक, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 234 अमृत फार्मेसियां कार्यरत हैं, जो कैंसर सहित 6500 से अधिक दवाएं महत्वपूर्ण छूट पर बेच रही हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि पहल और निःशुल्क निदान सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर आवश्यक दवाएं और निदान सुनिश्चित करती हैं, जिससे जेब खर्च कम होता है। गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत जिला और उप-मंडल अस्पतालों में कैंसर-रोधी दवाओं को आवश्यक औषधि सूची में शामिल किया गया है।

(ङ) और (च): आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत आरोग्य कार्यालपों को बढ़ावा देकर और सामुदायिक स्तर पर लक्षित संचार के माध्यम से कैंसर के निवारक पहलू को मजबूत किया जाता है। गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है।

एनपी-एनसीडी के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों के लिए जागरूकता सृजन गतिविधियों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर ₹3-5 लाख और राज्य स्तर पर ₹50-70 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के लिए एनपी-एनसीडी के अंतर्गत अनुमोदन और व्यय का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

एनसीडी के बढ़ते बोझ को देखते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सार्वभौमिक जांच के लिए एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान (20 फरवरी, 2025 से 31 मार्च 2025) शुरू किया था। यह अभियान देश भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और एनपी-एनसीडी के अंतर्गत अन्य स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में चलाया गया।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान एनएचएम के तहत राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण							
लाखों रुपये में							
क्रं.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	52.46	9.14	56.18	18.76	77.50	29.04
2	आंध्र प्रदेश	6078.76	3054.33	5954.08	5935.23	2793.95	2978.96
3	अरुणाचल प्रदेश	622.95	533.96	779.13	383.35	778.50	359.91
4	असम	1306.81	793.10	1222.93	774.03	1261.30	564.97
5	बिहार	8298.99	3149.22	7163.81	2728.00	15239.36	7741.21
6	चंडीगढ़	4.15	0.31	3.90	0.75	5.55	5.06
7	छत्तीसगढ़	3506.32	2359.05	2974.64	2178.78	3489.59	1016.16
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	57.55	14.53	57.99	47.68	220.20	26.79
9	दिल्ली	164.70	21.97	335.41	27.22	1002.36	89.05
10	गोवा	153.05	156.05	145.25	96.34	380.84	126.83
11	गुजरात	4071.68	1711.46	3778.31	1542.89	4183.61	1248.96
12	हरियाणा	533.41	592.62	406.56	630.69	5093.87	898.75
13	हिमाचल प्रदेश	1361.00	440.72	1416.50	735.05	1239.49	442.21
14	जम्मू और कश्मीर	792.00	202.20	882.00	208.39	1016.40	530.60
15	झारखंड	1955.15	903.13	1958.53	1467.89	4668.04	3284.65
16	कर्नाटक	4409.74	2625.00	2452.35	1953.05	1645.43	941.00
17	केरल	7662.02	2372.94	5249.09	1203.84	5464.00	265.95
18	लद्दाख	273.36	146.40	166.43	119.15	1126.35	901.39
19	लक्षद्वीप	21.21	2.03	22.28	3.22	31.70	19.56

20	मध्य प्रदेश	4753.73	1470.14	2090.26	1385.57	7207.23	3369.80
21	महाराष्ट्र	5311.21	2018.00	5147.52	1502.83	22614.03	1669.74
22	मणिपुर	722.21	277.29	724.30	249.28	1448.36	250.52
23	मेघालय	407.60	219.42	370.59	524.32	1002.20	738.66
24	मिजोरम	176.24	22.60	176.24	118.60	157.71	39.78
25	नागालैंड	312.26	41.62	310.88	125.42	452.79	454.29
26	ओडिशा	7442.69	3539.82	6067.91	4957.81	5251.02	4525.75
27	पुदुचेरी	113.10	47.94	135.94	48.39	499.08	44.36
28	पंजाब	1405.93	559.97	1796.11	1796.11	4255.14	323.83
29	राजस्थान	23542.92	2700.62	23542.92	2204.69	13709.00	10632.43
30	सिक्किम	117.04	56.33	85.55	51.17	243.93	176.00
31	तमिलनाडु	8466.91	1814.06	10031.16	4277.33	5130.45	4617.11
32	तेलंगाना	5272.72	5305.26	5145.00	128.71	3925.06	3840.06
33	त्रिपुरा	496.53	203.41	578.92	250.46	670.00	377.02
34	उत्तर प्रदेश	13607.82	4787.92	18998.70	5667.88	24974.57	6266.67
35	उत्तराखंड	1127.33	436.72	1167.37	697.50	1231.06	530.01
36	पश्चिम बंगाल	3868.71	4765.29	5428.71	4680.41	8563.20	5144.23

****